

# من مقاصد الحج

ذاكر حسين وراثة الله

مراجعة

أبو أسعد قطب محمد الأثري



Hindi

الهندية

हिंदी

الملكت التعاضي للدعوة والإرشاد و توعية الجاليات بالريوة، ١٤٤٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وراثة الله، ذاكر حسين

من مقاصد الحجـ اللغة الهندية . / ذاكر حسين وراثة اللهـ - الرياض، ١٤٤٠هـ

٧٢ سم x ١٦,٥ سم

ردمك : ٤-٢٨٤٩-٨٢٤٩-٦٠٣-٩٧٨

١- الحجـ مناسك -٢- الحجـ أـ العنوان

١٤٤٠/١١٤٥٦

٢٥٢,٥ دينار

رقم الاليداع: ١٤٤٠/١١٤٥٦

ردمك : ٤-٢٨٤٩-٨٢٤٩-٦٠٣-٩٧٨



Osoul Center

[www.osoulcenter.com](http://www.osoulcenter.com)

This book has been conceived, prepared and designed by the Osoul International Centre. All photos used in the book belong to the Osoul Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osoul Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osoul Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.

+966 11 445 4900

+966 11 497 0126

P.O.BOX 29465 Riyadh 11457

[osoul@rabwah.sa](mailto:osoul@rabwah.sa)

[www.osoulcenter.com](http://www.osoulcenter.com)



शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो  
बड़ा मेहरबान (कृपातु) निहायत रहम  
करने वाला (दयातु) है





## भूमिका

इतमामे हज्ज (हज्ज को पुरा करना)	9
पहला मक्सद: अल्लाह तआला के लिए महब्बत को साबित करना	13
सवाल: क्या सहीह मसदरों तथा हवालों (क़ाबिले हुज्जत और दस्तील की किताबों) में साबित है कि नवी ﷺ के मुवारक पैरों ने या आपके पाकीज़ा जिस्म ने अरफ़ा की ज़मीन को छूया है?	23
सवाल: हज्जतुल वदाअ़ में रसुल ﷺ के मुवारक क़दमों ने अरफ़ा की सरज़मीन को क्यों नहीं स्पर्श किया?	27
सवाल: मक्का मुकर्मा एक बे आब व गियाह वादी (बंजर और अनावाद भूमि) में क्यों बाके हैं?	29
दूसरा मक्सद: अल्लाह तआला ही के लिए अज़मत व बड़ाई और इज्जत व हुरमत को साबित करना	35
तीसरा मक्सद: अल्लाह तआला के लिए 'रजा' को साबित करना (यानी सिर्फ उसी से आशा और उम्मीद रखना)	37
चौथा मक्सद: अल्लाह तआला से ख़ौफ खाने (डरने) को साबित करना	41
पाँचवाँ मक्सद: अल्लाह तआला पर तवक्कुल (निर्भर और भरोसा) करना।	43
छठा मक्सद: अल्लाह की तरफ़ इनाबत और रुजू करने (लौटने) को साबित करना	49
सातवाँ मक्सद: अल्लाह तआला के लिए इख़बात (तवाज़ो व इंकिसारी तथा विनय नम्रता) को साबित करना	53
मक्का मुकर्मा की खुसूसीयतें (विशेषतायें)	55
ख़ातिमा (उपसंहार) फिर हज्ज के बाद क्या?	59







## भूमिका

सारी तारीफें अल्लाह तआला के लिए हैं जिस ने अपने वलीयों (ईमानदार और परहेज़गार बंदों) को फ़ायदाप्रद इत्तम और नेक अ़मल के ज़रीया इज़्ज़त बख्खी। और उनके इल्म का फल तथा नतीजा यह है कि अल्लाह तआला ने इसको उस से डरने और उसकी तरफ़ रुजू करने का वसीला बनाया। अल्लाह तआला ने इस इल्म के सबब बाज़ कौम को इतना बुलंद किया कि उन्हें लोगों में सब से ऊँचा मकाम अ़ता फ़रमाया। और इसके ज़रीया बहुत से दिलों को भर दिया तो वे इससे महब्बत करने लगे तथा उसके हुसूल के शैदाई (पाने के आसक्त) बन गये। और इसे बहुत से आज़ा व जवारेह (अंग प्रत्यंग) का ऐसा मशगूला (व्यापार) बना दिया जिसकी ख़िदमत में वे सरतापा (बिल्कुल) लगे हैं। दुरुद व सलाम (रहमत व शांति) नाज़िल हो खैरुल बशर (श्रेष्ठतम इंसान) पर जो अपने रब को पहचान कर सिर्फ़ उसी के ज़िक्र में मशगूल रहे और उसी के लिए अपनी बंदगी, अपनी नमाज़, अपनी सारी इबादत, अपने मरने और जीने सब को ख़ालिस कर लिये। यहाँ तक कि आपको आपके रब ने चुन लिया और महबूब बना लिया। पस वह आप से राज़ी हो गया और आपके बारे में अपने मख़लूक में से नेकों (सत्कर्मीयों) को खुश कर दिया।

ऐ हमारे रब! बेशक तमामतर इल्म (समस्त ज्ञान) तेरे हाथों में है। अतः तेरे नज़दीक सबसे ज्यादा पसंदीदा इल्म की हमें तौफ़ीक दे और उसके ज़रीया तेरे पास हमारा मकाम बुलंद फ़रमा।



ऐ अल्लाह! इस इल्म के द्वारा हमारे आमाल बढ़ा दे, उसके ज़रीया हमारे गुनाहों को बख्श दे, उसके माध्यम से हमारे सीने खोल दे और उसे तेरी रिज़ा (संतुष्टि) के लिए ख़ालिस बना दे।

ऐ अल्लाह! हम तुझ से अपनी संकल्पों, कथनों और कर्मों (नीयतों, अक़वाल और अफ़आल) में उस चीज़ की तौफ़ीक तथा शक्ति की भीक मांगते हैं जो तेरे नज़दीक प्यारी हो और जिससे तू खुश हो जाये।

अम्मा बाद (तत्पश्चात्): प्रिय मुस्लिम ब्रादर ---! प्यारे हाजी भाई ---!

क्या ख़ूब मकाम है रब्बुल आलमीन (सर्वलोक के स्वामी) के सामने अपने आपको टेक देने और सौंप देने का, जो कि मुमिनों की अ़लामत है। पस अगर बंदे के लिए सुपुर्दगी के मकाम के साथ इल्म के मकाम का इज़ाफ़ा हो जाये तो रब्बुल आलमीन से उसका कुर्ब (निकटता) बढ़ जाता है। अतः ऐ हमारे रब! ऐ वदूद! ऐ अल्लाह! हमें सुपुर्दगी, इल्म और नेक अ़मल में बढ़ा दे और हम से क़बूल फ़रमा ले, बेशक तू गुनी और करीम (वेनियाज़ और उदार) है।

मेरे प्यारे हाजी भाई! अच्छी बात है कि आप हज्ज के आमाल अदा करें अगरचे आपको मालूम नहीं कि आप यह आमाल क्यों कर रहे हैं। आपकी इतनी जानकारी काफ़ी है कि यह अल्लाह तआला की इबादत है, और यह रब्बुल आलमीन के सामने अपने आपको सुपुर्द करने और उसकी बंदगी करने का तकाज़ा भी है।

मगर इस पर चाँद लग जायेगा जब आप गिड़गिड़ा कर अल्लाह तआला से यह दुआ करेंगे कि वह आपके इल्म में इज़ाफ़ा करे, फिर वह आपकी सुन ले और आपके सीने को ऐसा खोल दे कि आप हज्ज के बाज़ आमाल की हिक्मत (भेद) से वाकिफ़ हो सकें। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

وَالَّذِينَ حَمَدُوا فِي النَّهَارِ يَهُمْ شُبَّانٌ وَلَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾ [العنكبوت: ٦٩]

“और जो लोग हमारी राह में मशक्कतें बरदाश्त करते हैं हम उन्हें अपनी राहें ज़खर दिखा देंगे, वेशक अल्लाह नेकोकारों (सदाचारियों) के साथ है।” {सूरतल अन्कवृत: 69}

कितनी अच्छी बात होगी अगर हम जान लें कि मक्का मुकर्रमा वे आब व गियाह वादी (बंजर और गैर आबाद भूमी) की बजाये आबाद वादी, खेती के काबिल ज़मीन तथा नदी विशिष्ट भूमी में क्यों वाके नहीं है, ताकि अल्लाह के हाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा ज़मीन में हज्ज व उम्रा करने वाले महजूज़ (हर्षित) हूँ।

और नवी ﷺ की खुसूसीयत में से क्यों है कि हज्जतुल वदाओ (विदाई हज्ज) में आपके मुबारक क़दम और पवित्र जिस्म ने अ़रफ़ा की ज़मीन को स्पर्श नहीं किया।

और सख्त भीड़ की हालत में मताफ़ (तवाफ़ स्थल) में और जमरात में खड़ी दीवार के पास मर्द और औरतों का समागम (इश्किलात) क्यों होता है? हालाँकि अल्लाह तअ़ाला उन से इस तंगी को दूर करके उसे कुशादा करने पर कादिर है। नीज़ (इसी तरह) दूसरी इबादतों में हिक्मतों वाली शरीअत (दीने इस्लाम) का यह मिज़ाज भी है।

और अ़रफ़ा से लौटते हुये मुज़दलिफ़ा में ही क्यों रात गुज़ारना ज़खरी है? जबकि मिना हम से क़रीब है और हमारे बिछौने तथा सामान वग़ेरा वहीं होते हैं।

हज्ज और उम्रा के आमाल में इनके अलावा अज़ीम हिक्मतों पिनहाँ (पोशीदा) हैं। अतः हम शक नहीं करते कि हज्ज के तमाम आमाल सरापा (बिल्कुल) अज़ीम हिक्मतों और बारीक मकासेद व भेदों से पुर

हैं, जिनका इल्म किसी को हुआ और किसी को नहीं हुआ। और मैं ने इस पुस्तिका में अल्लाह तआला से मदद तलब करते हुये इन मकासेद और भेदों से बंदों को वाकिफ़ कराने और उन्हें उनके जेहन व दिमाग़ में बसाने की कोशिश की है। मुमकिन है कि हमारा खबर हमें बख्ता दे, हम पर रहम फ़रमाये और हमें सीधी तथा सच्ची राह की हिदायत दे। वाज़ेह रहे कि मैं ने इस पुस्तिका में फ़िकही अह्काम बयान करने का इहतिमाम नहीं किया है। क्योंकि इनका मकाम (स्थान) और है जिन्हें उलमा ने अह्काम की किताबों में नक़ल फ़रमाया है। इस पुस्तिका में मेरे कलम का मेहवर (दायरा) बाज़ वह मकासेद और भेद हैं जिन से बहुत से हाजी लोग बल्कि हज्ज के विषय में लिखने वाले बहुत से लेखक ग्राफ़िल होते हैं। लिहाज़ा मैं ने नबी ﷺ के इस फ़रमान पर अमल करते हुये कलम उठाया:

«رَبُّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ». [رواه أبو داود برقم (٣٦٦٠) وصححه الألباني].

“बहुत से इल्म व फ़िक़ह के हामिल (अधिकारी) अपने से बढ़ कर ज्यादा जानकार और फ़कीह लोगों को पहँचाते हैं।” {इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है, हदीस नम्बर: 3660, और अल्लामा अलबानी ने इसे सहीह करार दिया है}

नीज़ मैं अपने अलावा दूसरे उलमा को बड़े पैमाने पर और मज़ीद वाज़ेह और शामिल व कामिल अंदाज़ में इन असरार व रुमूज़ और मकासेद व भेद के निकालने पर उभार रहा हूँ। चुनांचि इन में से जो सहीह और दुरुस्त है वह सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की तरफ़ से है, और जो ग़लत है वह मेरी और शैतान की तरफ़ से है।





## इतमामे हज्ज (हज्ज को पूरा करना)

अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَلَا تُعْمِرُوا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]

“हज्ज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो।” सूरतुल बक़रा: 196]

इतमामे हज्ज (हज्ज को पूरा करना) तीन किस्मों पर मुनहसिर (निर्भरित) है:

- ❶ मुकर्ररा वक्त (निर्धारित समय) में हज्ज पूरा करना।
- ❷ मुकर्ररा मकान (निर्धारित स्थान) में हज्ज पूरा करना।
- ❸ मशरूअ् त तरीके (शरीअत सम्पत्ति नियमों) पर हज्ज पूरा करना।

अब आइये मज़कूरा किस्मों की तपःसील बयान करते हुये कह रहे हैं:

### ✿ पहली किस्म:

मुकर्ररा वक्त (निर्धारित समय) में हज्ज पूरा करना: इसका मतलब यह है कि आगे पीछे किये बगैर उसी वक्त में हज्ज अदा करना जिसे अल्लाह तआला ने मुकर्रर फरमा दिया है।

हज्ज में हर इबादत के लिए वक्त मुकर्रर किया गया है। और इस ताईन के अग्राज़ व मकासेद (भेद) हैं जो मुकर्ररा वक्त के अलावा में पूरे नहीं हो सकते हैं। अतः जिस ने अल्लाह तआला की तरफ से मुकर्रर करदा वक्त में अदा करने से सुस्ती किया उस ने इन मकासिद



को पाये तकमील तक पहुँचाने में कसर उठाई (भेदों को पूरा करने में कमी की)। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٌ﴾ [البقرة: ۱۹۷]

“हज्ज के महीने मुकर्रर हैं।” {सूरतुल बकरा: ۹۶۷} और दूसरी जगह फ़रमाया:

﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ۲۰۳]

“और अल्लाह की याद इन गिनती के चंद दिनों (यानी अव्यामे तशरीक अर्थात् ۹۹, ۹۲ और ۹۳ जुलहिज्जा) में करो।” {सूरतुल बकरा: 203}

इसी लिए हम मिसाल के तौर पर कहते हैं: जिस ने जल्दबाज़ी करते हुये मुज़दलिफ़ा में रात नहीं गुज़ारी या आधी रात से पहले वहाँ से निकल गया, इसी तरह जिस ने 12 जुलहिज्जा को सूरज ढलने से पहले ही कंकरी मार ली, तो उसने हज्ज के मकासिद की मुखालफ़त और उसके भेदों की विरोधिता की या उसके अगराज़ व मकासिद को मुकम्मल नहीं किया।

### ❖ दूसरी किस्म:

मुकर्ररा मकान (निर्धारित स्थान) में हज्ज पूरा करना: अर्थात् हज्ज में जो इबादतें मशरूअ़ हैं उन्हें उन्ही मकामात में अदा की जायें अल्लाह तआला ने जहाँ करने का हुक्म दिया है। क्योंकि हर जगह के लिए ऐसे मकासिद रखे गये हैं जो वहाँ के अलावा कहीं और पूरे नहीं हो सकते हैं। अतः जिस ने किसी इबादत की जगह के बारे में सुस्ती बरती, तो उस ने इस इबादत के मकासिद की तकमील (भेदों को पूरा करने) में कमी की।



**मिसाल के तौर पर (उदाहरण स्वरूप):** अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि हम हुदूदे अरफ़ा में (अरफ़ा सीमा के अंदर) ठहरें, पस उसके हुदूद से तजावुज़ (उन्हें पार) न करें। इसी तरह अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि हम पूरी रात या उसका अकसर हिस्सा मुज़दलिफ़ा में गुज़ारें, चुनांचि हमें चाहिये कि हम मुज़दलिफ़ा की रात उसके हुदूद से न निकलें। नीज़ अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है कि हम मिना की रातें मिना ही में गुज़ारें, अतः बिना किसी मजबूरी के -जैसाकि आजकल भीड़ की वजह से होता है- उसके हुदूद से न निकलें। यह है मुकर्रा मकान (निर्धारित स्थान) में हज्ज पूरा करना।

हाजीयों की घटती बढ़ती तादाद के सबब ज़मान और मकान (समय और स्थान) के ऐतेबार से बाज़ इबादतों -जैसे जमरात में कंकरी मारना, तवाफ़ करना और हजरे असवद को बोसा देना- की अदायेगी में दिक्कत पेश आती है।

क्योंकि उसके वक्त में इतनी उसअ़त नहीं रखी गई कि महीनों या हफ्तों बाद जब भीड़ कम हो जाये तो उसे अदा करे। इसी तरह उसकी जगहें इतना कृशादा या ज्यादा नहीं हैं जो ज़माने भर हाजीयों की तादाद के मुताबिक़ (अनुसार) हो। और ऐसी बात भी नहीं कि उसका करना औरतों के अलावा सिर्फ़ मर्दों पर फर्ज़ है, जिस के सबब अदद में कमी आ जाये। नीज़ यह बात भी नहीं कि यह हुक्म मुस्तहब है, बल्कि जगह और वक्त की तंगी के बावजूद मर्द व औरत तमाम हाजीयों पर -चाहे मर्द हुँ या औरत सब पर- करना लाज़िम है।

अल्लाह तआला अलीम और हकीम (बड़े इल्म और हिक्मत वाला) है, उस से मख़फ़ी (पोशीदा) नहीं कि (एक ही वक्त और एक ही जगह



में) इन अहकाम की अदायेगी में कितनी भीड़ और इधितलात का सामना हो सकता है। और यह सब कुछ उन अ़्ज़ीम हिक्मतों के तहत हैं जिन्हें हिक्मत वाले और ख़बर रखने वाले अल्लाह ने चाहा है।

### ❖ तीसरी किस्म:

मशरूअ (शरीअत सम्मत) तरीके पर हज्ज पूरा करना। और इस में मुंदरजा ज़ैल (निम्नोक्त) तीन अहम बातों का ख्याल (पहलूओं पर ध्यान) रखा जाये:

- ❶ पहली बातः हज्ज के मकासेद और उसके भेद।
- ❷ दूसरी बातः हज्ज के फ़िक़ही अहकाम।
- ❸ तीसरा बातः हज्ज में मसालिहि मुरसला (वह आमाल जो आम जनता की भलाई के लिए किये जायें, मगर उनके मोतबर होने या बातिल होने पर कोई शरई दलील न हो)।

मज़कूरा बातों की वज़ाहत करते हुये कहते हैं:

**पहली बातः** हज्ज के मकासिद और उसके भेद। तफ़सील के साथ इसका बयान (इसका सविस्तार विवरण) आगे आयेगा इनशा अल्लाह।

**दूसरी बातः** फ़िक़ही अहकाम जैसे वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह और हराम। उलमा ने इन अहकाम के सिलसिले में तफ़सीली तौर पर गुफ्तगू की है। नीज़ इनके बारे में लोगों के बकसरत सवालात होते रहते हैं। इस लिए यहाँ उनकी तफ़सील की ज़खरत नहीं समझते हैं।

**तीसरी बातः** मसालिहि मुरसला जो हज्ज के पूरा करने पर सहायता करते हैं, जैसे: ट्रेफिक रूल, साफ़ सफाई का इंतिज़ाम, रिहाइश का बंदोबस्त और सफर के लवाज़िमात व ज़खरियात वग़ेरा।



कभी कभी मज़्कूरा बातों का विशेष ख्याल न रखने की वजह से इस तरह के मसायेल (समस्यायों) का सामना होता है कि लोग (हुज्जाज) मुनासिब वक्त में मतलूबा और मुकर्ररा अमाकिन तक (उद्दिष्ट तथा निर्धारित स्थान पर) नहीं पहुँच पाते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि थक कर चूर हो जाने के सबब उनकी इवादतों में खलल यानी कमी रह जाती है।

अतः लोग अगर मसालिहि मुरसला का इहतिमाम करते हुये बाहम (परस्पर) एक दूसरे का हाथ बटायें तो बड़ी आसानी और सुहूलत के साथ इबादत की अदायेगी कर सकते हैं इन् शा अल्लाह।

अब सवाल यह है कि इन तीनों बातों के साथ अल्लाह तआला के इस हुक्म के मुताबिक कि:

﴿وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمَرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]

“हज्ज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो।” [सूरतुल बकरा: 196] हज्ज और उम्रा की तकमील कैसे कर सकते हैं?

तो इसका जवाब देते हुये कहते हैं:

**(1)** मज़्कूरा (उक्त) तीनों बातों की जानकारी लेने तथा उनकी हकीकत और गहराई तक पहुँचने के लिए कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह तआला ने हम से वादा किया है कि अगर हम जिद्द व जहद (कोशिश और मेहनत) करें तो वह हमें अपनी प्यारी और पसंदीदा चीज़ की तरफ रहनुमाई फ़रमायेगा। जैसाकि उसका फ़रमान है:

﴿وَالَّذِينَ حَمَدُوا فِي النَّهَارِنَاهُمْ مُبْلِلُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

“और जो लोग हमारी राह में मशक्कतें बरदाश्त करते हैं हम उन्हें





अपनी राहें ज़रुर दिखा देंगे, बेशक अल्लाह नेकोकारों (सदाचारियों) के साथ है।” [सूरतुल अन्कबूतः 69]

और अल्लाह तआला से दुआ करना कि वह हमें इन मकासेद को समझने और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें पूरा करने की तौफीक दे, और

﴿رَبِّ رِزْفٍ عَلَمًا﴾ [طه: 114]

“ऐ मेरे रब! मेरा इल्म बढ़ा।” [सूरतु ताहा: 114]

जिद् व जहद तथा इजतिहाद के अंतर्गत (ज़िम्न में) है।

इसी तरह दोनों वस्त्र यानी कुरआन और हदीस के नुसूस (इबारतों) में गौर व खौज़ (चिंता भावना तथा गवेषणा) करना जिद् व जहद के जुमरे में है।

नीज़ उलमा से उनके बारे में सवाल करना, असरार व मकासेद पर मुश्तमिल (संबंधी) किताबें पढ़ना और इल्म की मजलिसों में हाजिर होना भी जिद् व जहद में शामिल है।

**❷** मुकम्मल तौर पर उन्हें बख्ये कार लाने (वास्तव रूप देने) के लिए कोशिश करें। जैसाकि अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿وَأَتَيْعُوا أَخْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الزمر: 55]

“और उस बेहतरीन चीज़ की पैरवी करो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाज़िल की गई है।” [सूरतुज्जुमर: 55]

और यह हुक्म हर इबादत में है। लिहाजा हमें चाहिये कि नफस की ताबेदारी करते हुये उसकी अदायेगी में कोई कमी और कसर न छोड़ें, राहत तलब (आलस्य प्रिय) न बनें और काहिली व सुस्ती के शिकार





न हों। क्योंकि दुनिया अ़मल का घर तथा गुज़राह है, और जन्नत बदले का घर तथा ठहरने की जगह है।

और यह सब कुछ अल्लाह तआला की तौफीक के बगैर नामुमकिन है, इस लिए हमें चाहिये कि हम उस से इलाहाह के साथ (गिडगिड़ा कर) उसकी प्यारी और परसंदीदा चीज़ों के अंजाम देने की तौफीक का मुतालबा (कामना) करें।

**❷** किसी शरई उङ्ग -जैसे नादानी और भूल वगैरा- के कारण पूरे तौर पर जिन चीज़ों के अदा करने से क़ासिर (असमर्थ) रहें, तो हम उन पर ग़मगीन (दुःखित) होकर अल्लाह तआला से बकसरत मग़फिरत तलब करें और कबूल कर लेने की दरখास्त करें। शायद वह अपने रहम व करम, जूद व सख्ता (उदारता) और इहसान व मेहरबानी से हमारी कमीयों को जब्र (पूरी) करके मुकम्मल बदले से नवाज़ दे। चुनांचि हम हज्ज से इस हाल में लौटें कि हम अ़मल के कबूल होने तथा उसके पूरा होने की उम्मीद के दरमियान और उसके रद हो जाने या पूरा न होने के ख़ौफ़ के दरमियान रहें।

अब हम ‘मशरूअ् तरीके पर हज्ज पूरा करने’ की पहली बात (पहलू) ‘हज्ज के मकासिद और उसके भेद’ तफ़सील से बयान कर रहे हैं:

हज्ज के मकासेद का मतलबः वह अ़ज़ीम फायदे और हिक्मतें जिनके सबब हज्ज के आमाल मशरूअ् किये गये हैं।

हज्ज का सबसे बड़ा मक़सदः अल्लाह तआला के निम्नोक्त हुक्म को बजा ला कर उसी के लिए अपनी बंदगी को सावित करना। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مِنْ أَسْطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]





“अल्लाह ने उन लोगों पर जो उसकी तरफ़ राह पा सकते हूँ उस घर का हज्ज फ़र्ज़ कर दिया है।” {सूरतु आलि इमरान: 97}

और हज्ज का सबसे बड़ा मकासेद यानी ‘अल्लाह तआला के लिए बंदगी को सावित करना’ उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसको वजूद में लाने वाले दीगर अ़ज़ीम मकासेद -जैसे: अल्लाह तआला से महब्बत करना, उसकी ताज़ीम करना, उसी से उम्मीद करना, उसी से डरना, उसी पर तवक्कुल और भरोसा करना और उसी की तरफ रुजू करना- न पूरे हूँ।

और यह हैं वह बाज़ मकासेद जिनके कारण हज्ज के आमाल मशरूअ् किये गये हैं। और लोगों के लिए उनका सीखना, समझना, हासिल करना और उनकी हकीकत तक पहुँचने के लिए जिद्द व जहद करना मशरूअ् किया गया है। और लोग इस विषय में एक दर्जे के नहीं हैं।

हाजी पर इन तमाम मकासेद की तप्सील का इहाता करना (जानना) ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक वह कर ले जाये उतनी मिकदार वह अज्ञ व सवाब और अल्लाह तआला के हाँ मकाम व मरतबा का हक़दार होगा।

और यही वजह है कि अज्ञ व सवाब में हाजीयों का मकाम एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होता है। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَيْمَانُ ﴾ [الزمر: ٩]

“बताओ तो इल्म वाले और वे इल्म क्या बराबर हैं? यक़ीनन नसीहत वही हासिल करते हैं जो अ़क्लमंद हूँ।” {सूरतु ज्ञुमर: 9}

अब हम मतानत व संजीदगी के साथ उस सफ़र को तै करना चाहते हैं जिस में हज्ज के मकासेद के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुये उन में गौर व फिक्र करेंगे। मुमकिन है कि अल्लाह तआला उनके ज़रीया हमें





ईमान व सुर्पुर्दगी और नेक अमल में बढ़ा दे। और हम अल्लाह तअ़ाला से इखलास का सवाल करते हैं। नीज़ उस चीज़ की तौफीक़ चाहते हैं जो उसके नज़्दीक महबूब और पसंदीदा है। और दुआ करते हैं:

﴿رَبَّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]

“ऐ मेरे रब! मेरा इल्म बढ़ा।” [सूरतु ताहा: 114]

इस से पहले यह बात गुज़र चुकी है कि हज्ज का सबसे बड़ा मक़सद ‘अल्लाह तअ़ाला के लिए बंदगी को सावित करना’ है, और इस मक़सद को वजूद में लाने के लिए चंद और अ़ज़ीम मकासेद हैं, जिन में से हर एक हज्ज के मकासेद में से एक मक़सद है। पस क्या हैं यह मकासेद?

बल्कि यहाँ एक और अहम सवाल है, और वह यह कि हज्ज के आमाल के ज़रीया यह मकासिद कैसे सावित हो सकते हैं? अल्लाह तअ़ाला से मदद चाहते हुये इसी बात को अगले सुतूर में बयान करने की कोशिश करेंगे इन् शा अल्लाह।







## पहला मक्सद

### अल्लाह तआला के लिए महब्बत को साबित करना

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿ قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْرَجْنَكُمْ وَأَرْجَمْكُمْ وَعَشَرَتِكُمْ وَأَمْوَالُ أَقْرَبَفُمُوْهَا وَمَحَرَّرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَسَكَنَكُنْ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ كَانَ أَدْنَى مِنْهُ فِي سَيِّلٍ، فَرَبَصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ﴾ [التوبه: ٢٤]

“आप कह दीजिये कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवीयाँ, तुम्हारे कुंबे कृबीले (वंश), और तुम्हारे कमाये हुये माल, और वह तिजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो, और वह हवेलीयाँ (आवास) जिन्हें तुम पसंद करते हो, (अगर यह सारी चीजें) तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा अ़ज़ीज़ (प्रियवर) हैं, तो तुम अल्लाह के हुक्म (से अ़ज़ाब के आने) का इंतज़ार करो। और अल्लाह तआला फ़ासिकों (पापाचारीयों) को हिदायत नहीं देता।” {सूरतुत्तौबा: 24}

गैर करें कि आप हज्ज अदा नहीं कर सकते यहाँ तक कि आप अपनी ज़िंदगी के हर महबूब और प्यारी चीज़ों को छोड़ दें। पस आपको हज्ज हासिल नहीं होगा यहाँ तक कि आप अपने उस वतन को छोड़ें जिस से आप महब्बत करते हैं और जिसकी तरफ अपने आपको मनसूब करते हैं, नीज़ अपनी हमदर्द व ग़मखार बीवी, अपने लख्ते जिगर बच्चों, अपना घरबार, वह बस्ती जिस में आप पले बढ़े, मश़ग़ला (काम काज





और व्यापार), खेतीबाड़ी, गाड़ी घोड़ा और उस कुंवा कबीला (जाति कुल) को भी छोड़ें जिसकी तरफ आप अपने की निस्बत करते हैं।

इन तमाम महबूब और प्यारी चीजों को आप इस हाल में छोड़ कर जाते हैं कि पता नहीं दोबारा उन तक वापस लौटेंगे या नहीं। इसी तरह जब आप इन प्रिय और चहेतों को विसर्जन दे कर (छोड़ कर) जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि (तफरीह और मनोरंजन के लिए) किसी आबाद वादी, हरे भरे जंगल, मोतदिल फ़ज़ा (संतुलित वातावरण) और कुशादा मकान की तरफ़ रवाना हो रहे हैं, बल्कि आप वे आब व गियाह वादी (बंजर और गैर आबाद भूमि) की तरफ़ रवाना हो रहे हैं जहाँ सख्त गरमी और कठिन भीड़ का सामना करना होगा।

अतः अगर आप वहाँ इस हाल में पहुँचते हैं कि आपके साथ कोई महबूब चीज़ हो, तो अल्लाह के लिए अ़ज़ीम महब्बत को ख़ालिस करते हुये और उसे उसी के लिए सावित करते हुये उसको (महबूब चीज़ को) परित्याग करें (छोड़ दें)।

पस अगर आपके साथ आपकी प्यारी बीवी, कीमती कपड़े और पाकीज़ा खुशबू हूँ, तो यह सब कुछ आपके लिए सिर्फ़ इहराम से (हज्ज या उम्रा में दाखिल होने की नियत कर लेने ही से) हराम हो जाते हैं।

बल्कि मक्का में और भी दूसरी अ़ज़ीम प्यारी और महबूब चीज़ें हैं, जैसे: मस्जिदे हराम, काबा शरीफ़, हजरे अस्वद, मक़ामे इबराहीम, ज़मज़म का कुँआ और खुद हरम की सरज़मीन।

शायद यहाँ -अल्लाह बेहतर जानता है- बंदे का इमतिहान लेना और उसकी आज़माइश करना मकासेद में से एक मक़सद है। और वह इस तरह से कि अगर हाजी के नज़दीक मज़कूरा तमाम महबूब चीज़ों से





बढ़ कर सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह तआला है, तो इन तमाम चीज़ों को विसर्जन दे कर और सरज़मीने हरम को छोड़ कर अल्लाह तआला के आदेश और हुक्म की बजा आवरी (पालन) करते हुये हज्ज के सबसे अंजीम दिन में मैदाने अरफा -जो कि हुदूदे हरम से बाहर है- की तरफ निकल जाये, जहाँ की ज़मीन हर महबूब से ख़ाली होती है, पस वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तआला ही महबूब होता है। और यह इस बात की दलील है कि उसके नज़दीक इन सारे महबूब से अधिक महबूब अल्लाह तआला है, नीज़ यह कौली और अमली ऐतेबार से उसकी सच्चाई और अल्लाह तआला से ख़ालिस महब्बत की पहचान है।







**सवालः क्या सहीह मसदरों तथा हवालों (क़ाबिले हुज्जत और दलील की किताबों) में साबित है कि नबी ﷺ के मुबारक पैरों ने या आपके पाकीज़ा जिस्म ने अ़रफ़ा की ज़मीन को छूया है?**

तफसील के साथ नबी ﷺ के हज्ज की कैफ़ियत बयान करने वाली बहुत सारी क़ाबिले हुज्जत किताबें मैं ने टटोल डाली, लेकिन मुझे कोई ऐसी वाज़िह दलील या करीना दस्तयाब (स्पष्ट प्रमाण तथा सियाक व सबाक प्राप्त) नहीं हुये जो यह बतायें कि नबी करीम ﷺ के जिस्मे शरीफ ने अ़रफ़ा की ज़मीन को छूया हो। बल्कि करीने यही बताते हैं कि आपके जिस्मे मुबारक का सरज़मीने अ़रफ़ा को न छूना ही मक़सूद (उद्देश) था, और यह कि यह हुक्मे तअ़ब्बुदी (ऐसा धर्मीय आदेश जिस में चूँचिरा का कोई सवाल नहीं होता है) था, जो उम्मत के अलावा सिर्फ़ आप ﷺ के लिए ख़ास था।

उन करीनों में से एक यह है कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल ﷺ को अ़रफ़ा की ओर रवानगी के दौरान चंद ऐसे हुक्म दिये जो गैर तलब (सोचने के क़ाबिल) हैं।

अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपने रसूल ﷺ को अ़रफ़ा की सीमा (हद) से कुछ मीटर पहले उरना नामक वादी में ठहरने का हुक्म दिया। पस आप अ़रफ़ा से बाहर ही खाये पीये, आराम फ़रमाये और वजू किये।

फिर जब सूरज ढल गया तो रसूल ﷺ ने अपने अस्हाब ﷺ को



अरफ़ा की सीमा के अंदर एक या दो मीटर दाखिल होने का हुक्म दिया, लेकिन आप खुद अरफ़ा की सीमा से एक या दो मीटर बाहर ही ठहरे। फिर आप ﷺ ने खुत्बा दिया और उनको नमाज़ पढ़ाई इस हाल में कि आप ﷺ अरफ़ा की हड़ से बाहर और सहावये किराम ﷺ अरफ़ा के अंदर थे।

फिर जब आप ﷺ अपने खुत्बा और नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो अरफ़ा से बाहर ही अपनी ऊँटनी पर सवार हुये, उसके बाद सवारी पर बैठ कर ही अरफ़ा के अंदर तशरीफ़ ले गये, और आप ﷺ सवारी से नहीं उतरे यहाँ तक कि सूरज गुरुब हो गया, जैसाकि बहुत सारे नुसूस (इबारतें) इसकी वज़ाहत करते हैं। फिर आप ﷺ हज्जतुल वदाअ् में अरफ़ा से निकल पड़े इस हाल में कि आपके मुबारक क़दमों ने हरगिज़ अरफ़ा की ज़मीन को नहीं छूया। और यह हुक्म अल्लाह तआला की तरफ़ से आप ﷺ के लिए ख़ास था। अल्लाह तआला ही सब से बेहतर जानता है।





## सवालः हज्जतुल वदाअू में रसूल ﷺ के मुबारक कदमों ने अरफा की सरज़मीन को क्यों नहीं स्पर्श किया?

कठई तौर पर (निश्चित रूप से) यह बात मालूम है कि रसूलुल्लाह ﷺ सारे मुमिनों के नज़दीक महबूब और प्यारे हैं। इसी तरह आप ﷺ के आसार (चिंह) भी महबूब हैं, बल्कि बहुत से लोग आप ﷺ के आसार की जुस्तजू (तलाश) में लगे रहते हैं। और अल्लाह तबारक व तअ़ाला ने चाहा कि अपने अलावा मैदाने अरफा में किसी भी महबूब का कोई भी असर न रहे, अगर रसूले अकरम ﷺ के आसार ही क्यों न हों।

शायद इस में -अल्लाह बेहतर जानता है- यह हिक्मत पिनहाँ (भेद छुपा हुआ) है कि अगर अरफा में रसूलुल्लाह ﷺ का कोई असर होता तो मुम्किन था कि बाज़ लोग इस अज़ीम दिन में अल्लाह तअ़ाला की महब्बत से ग़ाफिल होकर आप ﷺ के आसार में मशगूल हो जाते और उनके दिल रब की महब्बत से बदे की महब्बत की तरफ फिर जाते।

और ऐसा क्यों न हो!!! इस लिए कि हम जानते हैं कि बशरियत (मानवता) के गुमराह होने का सबसे बड़ा सबब नेक लोगों की महब्बत में और उनके आसार में गुलू (अतिरंजन) करना है।

ख्ये ज़मीन (पृथ्वी) पर सब से पहला शिर्क जो नूह ﷺ के ज़माने में



वाके हुआ था क्या उसका सबब नेक लोगों की महब्बत में और उनके आसार में गुलू करना नहीं था?!!

क्या नसारा लोगों के पथभ्रष्ट होने का कारण ईसा ﷺ की महब्बत में गुलू करना नहीं था?!!

क्या राफिज़ी लोग अ़ली और हुसैन ؓ की महब्बत में गुलू करने के सबब गुमराह नहीं हुये?!!

क्या बाज़ सूफीयों के गुमराह होने का कारण जीलानी वगैरा की महब्बत में गुलू करना नहीं है?!!

इन्होंने उनसे अल्लाह तआला की महब्बत के मुशाविह (अनुरूप) महब्बत की जिसके सबब वह हलाक हो गये।

चुनांचि इसी तरह मैदाने अरफ़ा में हाजीयों से मतलूब (तलब किया गया) है कि उनके सामने किसी महबूब का कोई असर न रहे, ताकि उनके दिल सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही में मगन रहे।

और हो सकता है कि इस में बंदे की अपने रब से महब्बत का परीक्षा (इमतिहान) भी हो। और वह इस तरह से कि उसके सामने उसके महबूब को ऐसे वक्त में पेश किया जाये जब उसे उसकी सख्त ज़रूरत हो, लेकिन अल्लाह तआला इमतिहान और आज़माइश के तौर पर उसको उस से रोक दे और उस पर हराम कर दे, ताकि देख ले कि उसके नज़दीक अल्लाह तआला ज़्यादा महबूब है या यह महबूब ज़्यादा महबूब है।

यह देखिये कि सहाबये किराम भूक और मुहताजी के ज़माने में हज्ज का इहराम बाँध रहे थे। और बस वह इहराम में दाखिल हुये कि अल्लाह तआला ने इमतिहान और आज़माइश के तौर पर शिकार को



-जिसकी चाहत थी- हुक्म दिया अचानक उनसे इतना क्रीब हो जाये कि बिल्कुल उनके हाथ में आ जाये और उनके नेज़ों का निशाना बन जाये। जैसाकि अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَأْمُوْلُوْكُمُ اللَّهُ يُنْتَهِيُّ مِنَ الْصَّبَدِ شَتَّالُهُ أَيْدِيْكُمْ وَرِحَامُكُمْ لِعَمَّالُهُ مَنْ يَحْافِظُهُ بِالْعَيْنِ فَمَنْ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [١٩٤: ٩٤] [اٰنٰة]

“ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला कुछ शिकार के ज़रीया तुम्हारा इमतिहान करेगा जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुँच सकेंगे, ताकि अल्लाह मातृम कर ले कि कौन शख्स उस से बिन देखे डरता है, पस जो शख्स इसके बाद हव से निकलेगा उसके लिए दर्दनाक सज़ा है।” [सूरतुल माइदा: 94]

सहाबये किराम ने उस वक्त क्या ख़ूब सिफ़ अल्लाह ही के लिए महब्बत को सावित कर दिखाया जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हुये शिकार को छोड़ दिया, हालाँकि उनको इसकी सख्त ज़खरत थी, और अल्लाह के अलावा न कोई निगरानी करने वाला था और न कोई हिसाब लेने वाला।

तवाफ़ करते तथा जमरात को कंकरी मारते समय अल्लाह तआला से महब्बत का इमतिहान और सख्त हो जाता है, इस लिए कि हाजी साहब जब उन महबूब चीज़ों -जैसे बीवी, खुशबू और शिकार- को जो अस्त में हलाल हैं छोड़ देता है, तो इसके बाद उन महबूब चीज़ों में आज़माइश आती है जो अस्त में हराम हैं। और वह है मर्दों का औरतों के साथ और औरतों का गैर महरम मर्दों के साथ इखिलात तथा संमिश्रण का इमतिहान।



जबकि यह मुमिन था कि जमरात का बाज़ हिस्सा औरतों के लिए हो और बाज़ हिस्सा मर्दों के लिए, या तवाफ़ और जमरात की रमी एक दिन मर्दों के लिए हो और एक दिन औरतों के लिए, मर्दों के साथ धक्कम पेल के सबब औरतों को तवाफ़ और रमी से सुबुक दोश (माफ़) कर दिया जाता, या यह कि रमी एक छोटी दीवार के बजाय किसी बड़े पहाड़ की तरफ़ होती, ताकि लोग भीड़-भाड़ न करें।

लेकिन शरीअत ने -अल्लाह वेहतर जानता है- तवाफ़ और रमी के अहकाम को इसी मारुफ़ और मशहूर सूरत ही में अदा करने का हुक्म दिया। और कभी कभी भीड़ तंग जगह में औरतों को मर्दों से बिल्कुल क़रीब कर देती है, ताकि पूरे तौर पर इमतिहान और आज़माइश हो कि --- तुम्हारे नज़दीक अल्लाह सब से ज्यादा महबूब है या औरतें?

अतः इस सख्त भीड़ में जहाँ इंसान में से कोई मुराकिब और निगराँ नहीं होता है, आप उस पक्के और सच्चे मुमिन को जिसका दिल अल्लाह तआला की महब्बत में मगन है पायेंगे कि हत्तल इमकान (जहाँ तक हो सके) बचते, दूर रहते और परहेज़ करते हैं। और ऐसा सिर्फ़ इसी लिए होता है कि उसके नज़दीक अल्लाह के सिवा और कोई चीज़ महबूब तथा प्यारी नहीं है। खुसूसन (विशेषतः) जब वह याद करता है कि इब्राहीम ﷺ को ख़लील बनने का मकाम व मरतबा उसी वक्त मिला जब उनको जमरात के मकान में अपने लग्ते जिगर इसमाईल ﷺ के बारे में आज़माइश में मुबतिला किया गया।

इब्राहीम ﷺ की आज़माइश की तफसीलः आपकी पहली आज़माइश यह थी कि आप कई सालों तक निःसंतान (औलाद से महरूम) रहें।



फिर जब औलाद से नवाज़े गये तो यह आज़माइश आई कि बच्चे को उसकी माँ समेत वे आब व गियाह वादी में छोड़ कर शाम कूच कर जायें। फिर आप पर आज़माइश सख्त की जाती है और आपको उनके पास वापस आने का हुक्म दिया जाता है। फिर जब आपका दिल अपने एकलौता बेटे से मिल कर बाग़ बाग़ होता है, तो उसे ज़बह करने का हुक्म सादिर होता है। पस आप इन जमरात के मकान के पास रब के हुक्म को नाफ़िज़ करने (बजा लाने) के लिए आते हैं। उस वक्त शैतान आपके पास वसवसा देते हुये तीन मरतबा आता है, ताकि आपको आपके रब का हुक्म नाफ़िज़ करने से फेर दे। मगर उसको इब्राहीम ﷺ से नहीं मिला मगर निहाई (अंतिम) जवाब यानी संगसार और पत्थर से धुतकार, और जुबान पे बार बारः अल्लाह हर महबूब से बड़ा है --- अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर अर्थात् अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है।







## सवालः मक्का मुकर्मा एक बे आब व गियाह वादी (बंजर और अनावाद भूमी) में क्यों वाके हैं?

अगर हज्ज किसी आबाद, खेती के क़बिल, हरी भरी और नदी नाले वाली वादी और भूमी की तरफ होता, तो मुमकिन था -अल्लाह बेहतर जानता है- कि बाज़ हाजीयों की नीयतों में मिलावट हो जाती कि क्या उन्होंने हज्ज से ख़ालिस इबादत की नीयत की है? या नदी नाले और हरी भरी वादी में तफ़रीह और मनोरंजन की नीयत की है?

यहाँ एक दूसरी हिक्मत भी है -अल्लाह बेहतर जानता है- कि अगर मक्का की निम्नोक्त दो गुण एकटे हो जाते (ज़ैल की दो ख़ासियतें जमा हो जातीं):

पहला गुणः उसकी तरफ दिलों का मायेल होना।

दूसरा गुणः उसका हरी भरी वादी और नदी नाले वाला होना।

तो मुमकिन था वहाँ लोगों का ढेर और जमघटा हो जाता और दूसरों के लिए कोई मजाल या गुंजाइश ही न छोड़ते (अवकाश ही न रखते)।

लेकिन अल्लाह तआला की रहमत है कि दिल उसकी तरफ मायेल होते हैं, फिर जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसे बंजर और गैर आबाद वादी पाते हैं जो मशक्कत और परेशानी से ख़ाली नहीं है, तो अपनी इबादतें पूरी करके चल देते हैं और दूसरों के लिए मजाल छोड़ देते हैं।

सिर्फ़ अल्लाह तआला के लिए महब्बत को साबित करने के विषय में आखिरी बात यह है कि:





अल्लाह तआला कबूल नहीं फ़रमाता है कि बंदे के दिल में पाई जाने वाली उसकी महब्बत किसी और महबूब की महब्बत के बराबर हो, चे जाये कि मख़लूक की महब्बत उसकी महब्बत से ज्यादा हो।

--- यह है तौहीद महब्बत यानी सिर्फ़ अल्लाह ही से महब्बत करना  
--- अतः अगर आप इस अ़ज़ीम मक्सद को पा लिए, तो इस मक्सद को बरुये कार लाने (वास्तव रूप देने), उसके लवाज़िमात (असबाब व वसाइल) को पूरा करने और उसके मवानेअू (प्रतिबंधकों) को दूर करने के लिए हज्ज में आपको बकसरत (अधिकाधिक) दुआ करनी चाहिये। पस अगर आपकी सुन ली गई तो आपके लिए मुबारकबादी है।





## दूसरा मक़सद: अल्लाह तआला ही के लिए अ़ज़मत व बड़ाई और इज़्जत व हुरमत को साबित करना

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعْكِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]

“जो अल्लाह की निशानीयों (प्रतीकों) की इज़्जत व हुरमत करे तो हकीकत में यह दिलों की परहेज़गारी में से है।” [सूरतुल हज्ज: 32]

शआइर और मशआर (निशानीयाँ और प्रतीक) का अर्थ: हर वह चीज़ जो अल्लाह तआला की अ़ज़मत व बड़ाई और उसकी बेनियाज़ी तथा मख़लूक की ज़िल्लत व खारी (हीनता और नीचता) और उसकी फ़कीरी व मुहताज़ी की निशानदिही करे (बतलाये)।

और यह नुक्ता सरज़मीने मुज़दलिफ़ा में बिल्कुल खुल के सामने आता है। पस पाक है वह ज़ात जिसकी अ़ज़मत और बड़ाई के सामने गर्दन झुक जाते हैं।

बेशक जो शख्स एक नाहिया (प्रांत) से मिना और अरफ़ा में हाजीयों की हालत के दरमियान और दुसरे नाहिया से मुज़दलिफ़ा में उनकी हालत के दरमियान मुक़ारना (तुलना) करेगा, वह इन दोनों के दरमियान एक बारीक फ़र्क मुलाहज़ा करेगा (सूक्ष्म अंतर पायेगा)।

और वह यह कि मिना और अरफ़ा में हाजीयों के तबके (वर्ग) मालदारी और मुहताज़ी में वाज़ेह तौर पर फ़र्क ज़ाहिर होता है, उनके



खीमों में, उनके खाने पीने में और उनकी सवारीयों में।

चुनांचि आप मिना और अऱफ़ा में ग़रीब और मुहताज को रोड़ों और सड़कों पर चटाई बिछा कर अवस्थान करते (ठहरते) देखेंगे। वर खिलाफ इसके धनी और मालदार को देखेंगे कि वह अपने खीमों में, अपने मज़हर (ज़ाहिरी शक्त) में और अपने सामान तथा रूपये पैसे में लोगों का तवज्जुह खींच ले (दृष्टि आकर्षण कर) रहे हैं।

यहाँ तक कि बसा औकात हुज्जाजे किराम ऐसे मौकिफ में खालिक की बेनियाज़ी से ग़ाफ़िल होकर मख़लूक की ज़ाहिरी मालदारी की फ़िक्र में मसरूफ हो जाते हैं, खालिक की अऱ्ज़मत को छोड़ कर मख़लूक को बड़ा समझने लगता है, यहाँ तक कि क़रीब है कि बाज़ ग़ाफ़िल दिल उस वक्त भूल जायें कि अऱ्ज़ीम कौन है!!!

मुज़दलिफ़ा के अहकाम मशरूअ् किये जाने का सबब -अल्लाह बेहतर जानता है- यह है कि हाजीयों के बीच मालदारी और अऱ्ज़मत व बड़ाई के फवारेक (भेदभेद) ख़त्म हो जायें, ताकि वहाँ सिवाय अल्लाह तआला की अऱ्ज़मत व बेनियाज़ी के किसी की अऱ्ज़मत व बेनियाज़ी का कोई शोशा बाक़ी न रह जाये। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أَتَمُ الْفَقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَالْأَنْوَارِ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: 15]

“ऐ लोगो! तुम अल्लाह के मुहताज हो, और अल्लाह बेनियाज़ ख़ूबीयों वाला है।” {सूरतु फातिर: 15}

अगर आप मुज़दलिफ़ा के अहकाम पर गौर करें तो पायेंगे कि वे हाजीयों के दरमियान और उनकी ज़ाहिरी मालदारी और सामयिक अऱ्ज़मत व बड़ाई के दरमियान तहव्वुल के तरीक़ा पर मशरूअ् (हालात में तब्दीली के तौर पर विधिसम्मत) किये गये हैं।



पस मुज़दलिफ़ा में सिर्फ़ रात में ठहरना (मवीत करना) होता है, इस लिए वह खीमों -जिन से उनके दरमियान बज़ाहिर तफ़ावुत (विभेद) नज़र आये- की ज़खरत महसूस नहीं करते हैं। और वहाँ ज़ीनत के कपड़ों और जोड़ों से आरी होकर (यानी इहराम की हालत में) ठहरने की मुद्दत चंद घंटे ही होते हैं, इस लिए उन्हें एक दूसरे पर मालदारी और बड़ाई ज़ाहिर करने वाले बेगों और असबाब पत्र की ज़खरत नहीं होती है। और यही सबव है कि वे सब के सब मुज़दलिफ़ा में नंगी ज़मीन पर (और खुले आसमान के नीचे) फ़क़ीरों की नींद सोते हैं, और बसा औक़ात फ़क़ीरों का खाना भी खाते हैं।

बल्कि कभी कभी आप देखेंगे कि वे टॉइलेट (बैतुल ख़ला) के सामने लम्बी लाइन लगा कर खड़े हैं, फ़क़ीर अमीर के साथ और काला गोरे के साथ, फ़क़ीर और कमज़ोर के भेष में, अमीरी की ठाटबाट से दूर, ताकि मुज़दलिफ़ा में इन मन्ज़रों (दृश्यों) को देख कर तमाम लोग जान लें कि सिवाय अल्लाह तआला के मुतलक अ़ज़मत वाला कोई अ़ज़ीम नहीं है!!!







## तीसरा मक्सदः अल्लाह तआला के लिए ‘रजा’ को साबित करना (यानी सिर्फ़ उसी से आशा और उम्मीद रखना)

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةُ أَيْمَنُهُمْ أَفْرُعُ وَبِرْجُونَ رَحْمَتُهُ  
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ حَذِيرًا﴾ [الإِسْرَاءٌ: ٥٧]

“जिन्हें यह लोग पुकारते हैं खुद वह अपने रब के तकरुब की तलाश में रहते हैं कि उन में से कौन ज्यादा क़रीब है अल्लाह के, वह खुद उसकी रहमत की उम्मीद रखते और उसके अ़ज़ाब से डरते हैं। बात भी यही है कि तेरे रब का अ़ज़ाब डरने की चीज़ ही है।” {सूरतुल इस्राः 57}

हज्ज के आमाल मशरूू किये जाने का तरीका, मख्लुक में से उम्मीद करने वाले और उम्मीद किये जाने वाले के दरमियान, अमीरों और फ़कीरों के दरमियान, कवी और ज़ईफ़ (सबल तथा दुर्बल) के दरमियान तथा आमेर और मामूर (आदिष्टी और आदिष्ट) के दरमियान इख्तिलात और समिश्रण या सकन में और खुसूसन खीमों में एक दूसरे से क़रीब होने तक पहूँचाता है। और यह ऐसा तरीका है जो आम ज़िंदगी में बहुत कम हासिल (उपलब्ध) होता है। और यह तकारुब (पास पास होना) ज्यादातर अरफ़ा और मुज़दलिफ़ा में वाज़ेह होता है।

लेकिन इन दो मशअरों (अरफ़ा और मुज़दलिफ़ा) में हाजीयों की हालत



पर गौर करने वाला पायेगा कि वह लोग तमाम के तमाम मखलूक की उम्मीद से किनारा कश होकर (हट कर) उस ज़ात से उम्मीद की तरफ मुतवज्जह (अग्रसर) होते हैं जिसके भंडार अफुरंत (ला फ़ानी) हैं, जिसकी नेमतें गिन कर ख़त्म नहीं की जा सकती, और जिसे आसमान व ज़मीन में कोई चीज़ आजिज़ नहीं कर सकती।

और उनका हाल यह होता है कि वे आजिज़ी और इनकिसारी (विनय नम्रता) के साथ अपने हाथों को उठाये हुये होते हैं, अमीर और फ़कीर तथा तंदुरुस्त और बीमार सब लोग एक ही शक्ल और एक ही अवस्था में होते हैं, और सब के सब उसके सामने आजिज़ी व ख़ाकसारी और फ़कीरी व इनकिसारी का इज़हार करते हैं, ताकि सारे लोग जान मान लें कि सिवाय अल्लाह के कोई ऐसी ज़ात नहीं जिस से उम्मीद लगाई जाये।

यह है रब्बुल आलमीन के लिए तौहीदे रजा में इख्लास (यानी सिर्फ और सिर्फ सारे जहान के पालनहार से उम्मीद वाबस्ता रखने में इख्लास)।





## चौथा मकासदः अल्लाह तआला से खौफ़ खाने (डरने) को साबित करना

अल्लाह तआला ने फरमाया:

«وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَا إِنَّا أَقْرَأْنَا وَقَلُوبُهُمْ وَجْهَةُ أَنْفُسِهِمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِحُونَ ۝ أُولَئِكَ يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَا سَكِينُونَ ۝» [المؤمنون: ٦١-٦٢]

“और जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं और उनके दिल कपकपाते हैं कि वह अपने रब की तरफ़ लौटने वाले हैं, यही हैं जो जल्दी जल्दी भलाइयाँ हासिल कर रहे हैं और यही हैं जो उनकी तरफ़ दौड़ जाने वाले हैं।” सूरतुल मुमिनून: 60-61}

बेशक जो शख्स कुरआन व हडीस में गौर करेगा, वाकेअू (वर्तमान) को देखेगा और तारीख़ (इतिहास) को टटोलेगा, तो वह पायेगा कि हज्ज और खौफ़ के बीच इतना गाढ़ा संबंध है जो लाज़िम मलज़ूम के हद तक पहुँच जाता है।

और यह संबंध किताब व सुन्नत और वाकेअू में गौर करने से वाज़ेह तथा स्पष्ट होता है:

### ❶ किताब (कुरआने करीम):

ऐ मेरे प्यारे हाजी भाई! सूरह हज्ज की तिलावत करें फिर गौर करें!!! पायेंगे कि सूरह की शुरूआत सख्त खौफ़ और भय की शक्ति में हुई है,



बल्कि खौफ की सब से सख्त शर्करों में से है जो बशरीयत (मानवता) पर गुज़रती है। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أَتَقْرَبُوا إِلَيْكُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ لَهُ الْكَوَافِرُ شَفَعٌ ۚ عَظِيمٌ ۚ ۱ ۚ يَوْمَ تَرَوْهُمْ هَا  
تَذَهَّلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاً أَنْضَعَتْ وَتَصْبُحُ كُلُّ ذَاتٍ حَمَلَ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ  
سُكَّرَى وَمَا هُمْ بِسُكَّرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ۲-۱]

“ऐ लोगो! अपने प्रभु से डरो। निःसंदेह कियामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देख लोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जायेगी, और हम्ल वालीयों के हम्ल (गर्भवतियों के गर्भ) गिर जायेंगे, और तू देखेगा कि लोग मतवाले दिखाई देंगे, हालाँकि वास्तव में वह मतवाले नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा ही सख्त है।” [सूरतुल हज्ज: ۱-۲]

तो ऐ मेरे व्यारे! क्या हज्ज और ख़ौफ के दरमियान कोई तअल्लुक और संबंध नहीं है?

۷۱) फिर सुन्नते नबवीया यानी अहादीस शरीफ़ा में गौर करें:

आप पायेंगे कि नबी ﷺ ने हज्ज को औरतों के लिए जिहाद का नाम दिया है। आप ﷺ ने फ़रमाया:

«عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالٌ فِيهِ، الْحُجُّ وَالْعُمُرَةُ». [رواه أحمد وابن ماجه، وسنناده صحيح].

“उन पर ऐसा जिहाद फ़र्ज़ है जिस में जंग नहीं होती, वह हज्ज और उम्रा है।” [इसे अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, और इसकी सनद सहीह है]

क्या जिहाद ख़ौफ का हम आगोश (साथी) नहीं हैं?!



फिर गैर करें कि हुदैविया के साल रसूलुल्लाह ﷺ और सहाबये किराम ﷺ के सरज़मीने हरम तक पहुँचने की कोशिश के साथ खौफ का कैसा रब्त और तअल्लुक़ रहा है।

कुरैश ने मुसलमानों का सामना करते हुये उन्हें उम्रा करने से रोक दिया, और लोग जंग के लिए एकट्ठा हो गये, और मुमिनों ने दरऱ्खत के नीचे बाहम (पररस्पर) लड़ाई पर बैआत (शपथ) कर ली। फिर अगले साल उम्रा करने पर सुलह (सन्धी) हुई। और मुसलमानों ने कुरैश की ग़दारी के खौफ से शर्त लगाई कि इहराम के साथ तलवारें भी हूँगी। पस यह उम्रा भी था खौफ के साथ।

हज्ज और खौफ के दरमियान संबंध और तअल्लुक पर वाकेअू (वर्तमान और विद्यमान) से दलील:

जो शख्स नबी ﷺ के ज़माना से लेकर आज तक हज्ज के विषय में गैर करेगा, वह इस नतीजा को पहुँचेगा कि हज्ज कभी भी खौफ से जुदा नहीं रहा है।

चुनांचि कुरैश का खौफ ख़त्म होने के कुछ ही अर्सा (समय) बाद मक्का तक पहुँचाने वाले अकसर रास्ते में तेरह सदी तक डाकूओं ने अपना ऐसा सिक्का जमाये रखा, गोया कि मक्का जाने वाला मफ़्कूद (नाबूद) और वहाँ से वापस लौटने वाला मौलूद।

और जब लोग डाकूओं के मसअला के हल (समस्या के समाधान) के लिए एकट्ठा हुये और उन से यह खौफ दूर हो गया, तो खीमों में आग लगने का समस्या आन खड़ा हुआ, और यह मसअला भी काफी सालों तक हज्ज का साथी बना रहा, और फिर लोगों ने इसके हल के लिए भी कोशिश की।



इसके बाद मुज़ाहरात (विक्षोभ) फिर ल्वास्टिंग का खौफ शुरू हुआ, फिर जमरात में भगदड़ मचने के कारण बाज़ जानों के मरने और ज़ख्मी होने का वाकिअ़ा पेश आया, फिर ज़बरदस्त बारिश की वजह से ख़ीमों के बह जाने का घटना सामने आया, फिर इंफ्लोइंज़ा की बीमारी के फैलने का खौफ पैदा हुआ। खुलासा यह कि लोगों ने आज तक खौफ के एक दरवाज़े को बंद करने की कोशिश नहीं की मगर खौफ का एक नया दरवाज़ा खुलता गया।

यहाँ तक कि आज भी हज्ज का इरादा करने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जिसके दिल में नीयत करने से लेकर अपने घर को वापस होने तक खौफ व दहशत न हो।

पस ऐ मेरे प्यारे! अगर वाकिई (सचमुच) हज्ज और खौफ के दरमियान गाढ़ा संबंध है, तो इस संबंध का मक़सद और भेद (हिक्मत) क्या है??

शायद इसका मक़सद -अल्लाह बेहतर जानता है- जुबान से खौफे इलाही जैसी इबादत के दावा को आज़ा व जवारिह (अंग प्रत्यंग) के ज़रीया अ़मल करके उसको हकीकी रूप देने की मंज़िलत (दर्जे) तक पहुँचाना है।

ऐ मेरे प्यारे! ऐसा कैसे?

अगर आप हाजीयों में से किसी हाजी से सवाल करें कि क्या आप ने हज्ज के दौरान गुज़श्ता सालों में हुये भयानक और जान लेवा हवादिस (दूर्घटनाओं) के बारे में नहीं सुना है?

क्या आप ने इस साल के हज्ज में मुख्तलिफ किस्म के खौफ के तवक्कुआत (विभिन्न प्रकार के संभवनीय आशंकाओं) के बारे में नहीं सुना है? तो वह कहेगा: क्यों नहीं, ज़खर सुना है।



अगर आप उस से दोबारा पूछें: तो फिर इन खौफ़ व ख़तर के बाबजूद भी आपको हज्ज में आने पर किस चीज़ ने उभारा और आमादा किया?

तो आपको जवाब मिलेगा कि इस्तिताअत (कुदरत व क्षमता) रखते हुये भी हज्ज अदा न करने वाले के हक़ में वारिद (पक्ष में आई हुई) अल्लाह तआला की वईद और धमकी का खौफ़ व डर इन तमाम खौफ़ व ख़तर से बढ़ कर है।

यह यानी ‘सिफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से डरना’ हज्ज के अ़ज़ीम मकासेद में से एक है।







## पाँचवाँ मक़सदः अल्लाह तआला पर तवक्कुल (निर्भर और भरोसा) करना।

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَقُولُ إِنْ كُنْتُمْ أَمْنَثُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُّا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴾ ﴿٨٤﴾  
تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتَّةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [يوسف: ٨٤-٨٥]﴾

“और मूसा ﷺ ने फ़रमाया कि ऐ मेरी कौम! अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर तवक्कुल करो अगर तुम मुसलमान हो। पस उन्होंने कहा कि हम ने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया। ऐ हमारे रब! हम को इन ज़ालिमों के वास्ते फ़िला न बना।” सूरतु यूनुस: 84-85}

मेरे प्यारे मुस्लिम भाई!

जब आप अपने रिश्तादारों के दरमियान अपने मुल्क और अपने मामूल (निरापद) घर में होते हैं, मुमकिन है कि आप गाड़ी (कार) और बैंक बैलेंस के भी मालिक हों जो आपको मुस्तक़बिल में सुकून और इत्मीनान (निश्चयं रहने) का यकीन दिलाये। तो कितनी आसानी से आप दावा कर सकते हैं कि मैं अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला हूँ। लेकिन हकीकत आशकारा नहीं होती है: क्या आप हकीकत में अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले हैं या इन अस्बाब व वसायेल पर?

मगर हज्ज वाज़ेह दलील पेश करता है कि हाजी साहब का तवक्कुल सिर्फ़ अल्लाह ही पर होता है।



## पस ऐसा कैसे??

जब आप मिना के महल्ले वुकुअू (लोकेशन) पर गैर करें तो पायेंगे कि वह एक वादी में वाके हैं। नीज़ हाजीयों के अवस्थान (हालात) पर गैर करें कि वे इस वादी में रास्ते के बाजू में लगे ख़ीमों में ठेलमठेल और भीड़ भाड़ की हालत में कियाम और मबीत करते हैं (ठहरते और रात गुज़ारते हैं)।

फिर आप उन से पूछें: क्या इस हालत में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरों के वाके होने की तबक्कुअ (संभावना) नहीं है? उदाहरण स्वरूप (मिसाल के तौर पर):

अगर सख्त किस्म का सैलाब आ जाये -अल्लाह न करे ऐसा हो-तो क्या इस बात का आशंका नहीं है कि यह ख़ीमे अपने रहने वालों समेत बह पड़ें।

अगर कड़कें गिरे और ओले बरसें तो क्या ख़ीमों की छतें इन से बचने के लिए काफ़ी हैं?

अगर संक्रामक रोग (छूतहा बीमारी) तेज़ी से फैले, तो क्या हालात को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इंतिज़ामात हैं?

और अगर तख़रीब पसंद लोग साज़िश (फ़साद मचाने वाले लोग षड़ यंत्र) करके हाजीयों को नुकसान पहुँचाना चाहें, तो क्या आम हाजीयों के पास ऐसी चीज़ होती है जिस से वह अपने नफ़रों की तरफ़ से दिफ़ाउ (प्रतिरोध) करने के लिए काफ़ी हों?

बल्कि जब आप हाजी साहब से उसके मुल्क से आने और वहाँ तक वापस होने के रास्ते के बारे में पूछें कि क्या इस में मुख्तलिफ़ किस्म



के ख़तरों का इहतिमाल (संभावना) नहीं है? जैसे जहाज़ों का गिर जाना, स्टीमरों और कश्तीयों का डूब जाना और आये दिन होने वाले गाड़ीयों के हादिसे आदि।

निःसंदेह इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा: हाँ! मज़कूरा तमाम ख़तरों और शंकाओं का संभावना है, बल्कि यह अ़कीदा रखते हैं कि बशरी इंतज़ामात कुछ भी नहीं कर सकते अगर अल्लाह तआला इन ख़तरों को वाके करना चाहे।

और जब दूसरा सवाल करें कि तो फिर आपका तवक्कुल किस पर है? और आप किस पर भरोसा करते हैं?

सबका जवाब एक ही है कि हम सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। और शायद -अल्लाह बेहतर जानता है- यही चीज़ कौल व अ़मल के एतेबार से अल्लाह पर तवक्कुल करने की तौहीद में सच्चाई की दलील है।







## छठा मक़सद: अल्लाह की तरफ़ इनाबत और रुजू करने (लौटने) को साबित करना

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَأَنِيبُوا إِلَي رَبِّكُمْ وَاسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصُرُونَ﴾

[الزمر: ٥٤]

“तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ़ झुक पड़ो और उसकी हुक्म बरदारी (आज्ञा पालन) किये जाओ इस से पहले कि तुम्हारे पास अज़ाब आ जाये और फिर तुम्हारी मदद न की जाये।” सूरतुज्जुमर: 54}

हज्ज फर्ज होने की शर्तों में से एक शर्त कुदरत और इस्तिताअत (शक्ति तथा सामर्थ्य) है, जो यह बतलाती है कि हज्ज में आगत (आये हुये) अकसर लोग माली और बदनी एतेबार से कवी हैं।

माली और बदनी वगैरा की इस्तिताअत की सिफर्तें उन सिफर्तों में से हैं जो उनके हामिल (अधिकारी) की बेनियाज़ी और मालदारी की ओर ग़म्माज़ी (इशारा) करती हैं। इन सब के बावजूद आप हाजीयों को देखेंगे कि हज्ज के तमाम अमाकिन (स्थानों) में उमूमन और मैदाने अरफ़ा और मताफ़ (तवाफ़ स्थल) में और सफ़ा व मरवा के ऊपर खुसूसन अपने गुनाहों का इकरार करते हुये जलील और खाइफ़ (हीन तथा भीत) के खड़े होने की तरह खड़े होते हैं, अपने कुसूर का एलान करते हैं, अपने अखिल्यार और कुव्वत व इरादा से सरज़द कोताहीयों पर पशीमान और



शर्मिदा होते हैं, अपने रब से माफ़ी के तलबगार होते हैं और दुआ करते हैं कि ग़फ़लत, कोताही और नाफ़रमानी के सबब पहले जो गुनाह हो चुके हैं उन्हें दर गुज़र कर दे और उन पर पर्दा डाल दे।

और शायद यही अल्लाह तआला की तरफ़ इनाबत और झुक पड़ने की हकीकत है। अल्लाह तआला बेहतर जानता है।

यहाँ यह सवाल उभरता है कि यह दिल किसकी तरफ़ इनाबत करते और झुकते हैं?

क्या इसका हुक्म सब से ज़्यादा कवी और शक्तिशाली इंसान की तरफ़ से आया है, या उन में सब से बड़े मालदार की तरफ़ से वादा है यहाँ तक कि इस तरीका से दिल नरम हो जायें और उनके खौफ से तथा जो उनके हाथों में है उसके लालच में आँसू बह पड़ें। नहीं, ऐसा कभी नहीं। लेकिन! शायद ऐसा -अल्लाह तआला बेहतर जानता है- रब्बुल आलमीन की तरफ़ इनाबत की तौहीद में इख़लास के सबब से है।





## ساتواں مکساد: الٰہ تاٰلٰہ کے لیے ایک بھروسہ (تواجو و ایکیساڑی تथا وینی نم्रت) کو سائبیت کرنا

55

الٰہ تاٰلٰہ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَجْبَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ  
هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ﴾ [هود: ۲۳]

‘वेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने काम भी नेक किये और रब की तरफ (आजिज़ी व स्खाकसारी के साथ) झुकते रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं, जहाँ वह हमेशा ही रहने वाले हैं।’ सूरतु हूदः 23]

### ﴿الْيَقْبَلُونَ﴾ इख्बात का अर्थः

الٰہ تاٰلٰہ की बंदगी, उसकी रुबूबीयत और उसकी अ़ज़मत का इकरार, अपनी कमज़ोरी का एतिराफ़ और अपनी मुहताजगी की स्वीकृति देते हुये ऐसा तवाज़ो व इकिसारी करना जो तसलीम के हद (आत्म समर्पण के दर्जे) तक पहुँच जाये।

कुरआने करीम में तीन मकामात पर ‘इख्बात’ का शब्द आया है:

एक तो सूरह हूद में है जिसका ज़िक्र विषय के शुरू में गुज़र चुका, और दो मरतबा सूरह हज्ज में आया है। الٰہ تاٰلٰہ ने फرمाया:

﴿فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَحْدَهُ أَسْلَمُوا وَسَرِّبُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الحج: ۲۴]

“समझ लो कि तुम सब का माबूदे बरहक (सत्य उपास्य) सिर्फ़ एक ही





है, तुम उसी के हुक्म के ताबे' और आधीन बन जाओ, और तवाज़ो व इंकिसारी करने वालों को खुश खबरी सुना दीजिये।” [सूरतुल हज्ज: 34] और दूसरे मकाम पर फरमाया:

﴿وَيَعْلَمُ اللَّهِ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُعَذَّبَ لَهُ قُلُوبُهُمْ  
وَإِنَّ اللَّهَ لَهَاوَ الَّذِينَ أَمْنَى إِلَيْهِ صِرَاطَ مُسْتَقِيرٍ﴾ [الحج: ٥٤]

“इस लिए भी कि जिन्हें इल्म अता फरमाया गया है (ज्ञान प्रदान किया गया है) वह यकीन कर लें कि यह आपके रब ही की तरफ से सरासर हक (बिल्कुल सत्य) ही है, फिर वह उस पर ईमान लायें और उनके दिल उसकी तरफ (तवाज़ो व इंकिसारी के साथ) झुक जायें। यकीनन अल्लाह तआला ईमानदारों की सीधे रस्ते की तरफ रहवारी (मार्ग दर्शन) करने वाला ही है।” [सूरतुल हज्ज: 54]

मज़कूरा तीन मकामात में से बिलखुसूस (विशेषत:) दो क्यों सूरह हज्ज में हैं?

शायद -अल्लाह बेहतर जानता है- ऐसा इस लिए है कि हज्ज के शआइर में यानी उसकी अकसर इबादतों में बंदों का अपने रब तआला के सामने ही तवाज़ो व इंकिसारी, आजिज़ी व ख़ाकसारी और मुकम्मल तौर पर तसलीम व सुपुर्दगी का इज़हार होता है।

अतः अगर आप -मिसाल के तौर पर- अकसर हाजीयों से हज्ज के शआइर यानी हज्ज के आमाल और इबादतों -जैसे अरफा जाना, मुजदलिफा में रात गुजारना या जमरात को कंकरी मारना वगैरा, जो वह पूरे इहतिमाम और बड़ी बारीकी के साथ अदा करते हैं- की हिक्मत के बारे में सवाल करते हुये पूछें: यह आमाल क्यों मशरूम्



(शरीअत सम्मत) किये गये हैं? इनका मक़सद क्या है? आप इन्हें क्यों अदा करते हैं?

तो आपको जवाब मिलेगा कि बस अल्लाह तआला के लिए तअब्बुद यानी उसकी गुलामी तथा बंदगी।

और यह अल्लाह तआला के लिए तवाज़ो व इंकिसारी और उसके लिए तसलीम व सुपुर्दगी में शामिल है। और वह इस तरह से कि बंदा हुक्म की हिक्मत की तफ़सील जाने बगैर शरहे सद्र (प्रशस्त चित्त) के साथ अमल में कोशँ रहे और कहे कि अल्लाह के हुक्म की तामील और बस। और उसको इतना ही काफ़ी है कि यह अल्लाह तआला के लिए तअब्बुद (यानी उसके लिए गुलामी और बंदगी) है जो उसको उसकी रिज़ामंदी और संतुष्टि तक पहुँचा देता है।

बर खिलाफ़ इसके (पक्षांतर) अगर उसको कोई सृष्टि (मख़्लूक) हुक्म देती तो बहुत मुम्किन था कि सवाल और चूँ चिरा करते हुये कहते कि ऐसा क्यों? या बेहतर तो यह है! या मैं मुतम्हन नहीं हूँ!

पस पाक है वह ज़ात जिसके सामने दिल बगैर चूँ चिरा के झुक पड़े।

क्या ख़ूब था उमर बिन ख़त्ताब ﷺ का सर तसलीम ख़म करना, जब आप हजरे असवद को ख़िताब करके फ़रमा रहे थे:

«أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَا عُلِمْ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَلْمَكَ مَا اسْتَلْمُتُكَ». [صحیح البخاری، رقم الحديث: 1605].

“अल्लाह की क़सम! वेशक मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, न नुकसान पहुँचा सकता है और न नफा दे सकता है। अगर मैं ने नबी ﷺ को तुझे बोसा देते हुये न देखा होता तो मैं तुझे (कभी) बोसा न देता।” [सहीहुल बुखारी, हदीस नम्बर: 1605]

हाजीयों में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मुल्क में ग्रीब, मिसकीन और कमज़ोरों से अलग थलग खुशहाली और ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, बल्कि कभी कभार आम लोगों से भी हट कर बड़े बड़े महलों में आसाइश व नेमत और सुकून व इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करते हैं।

लेकिन जब वह हज्ज की पुकार पर लब्बैक कहते हुये मक्का आते हैं तो कमज़ोरों और मिसकीनों के साथ घुल मिल जाते हैं, और बसा औकात उन्हीं जैसा खाना भी खाते हैं, और खुसूसन (विशेषत:) मुज़दलिफ़ा में वह जैसे सोते हैं वैसे ही यह भी सोते हैं, नीज़ तवाफ़ व सई करने और कंकरी मारने की भीड़ में उनके साथ खड़े रहते हैं, इसी तरह फैली बदबू, धक्कम पेल और सख्त भीड़ में सब्र का मुज़ाहरा करते हैं।

आप अपने दिल से पूछें: हज्ज में उन्हें इन चीज़ों के करने पर किस चीज़ ने उभारा, हालाँकि वह इन सारी चीज़ों की तफ़सीली हिक्मत और विस्तारित भेद से ना वाकिफ़ हैं?

और किस चीज़ ने उनको ऐश व इशरत की ज़िंदगी से यहाँ तक पहूँचाया कि वह ग्रीबों और मिसकीनों के साथ घुल मिल गये?

क्या किसी इंसान ने उनको इस पर मजबूर किया?

जवाब: कभी नहीं! लेकिन वह है: रब्बुल आलमीन के लिए तवाज़ो व इंकिसारी करना और आजिज़ी व ख़ाकसारी के साथ उसके सामने झुक जाना।

और शायद -अल्लाह तआला बेहतर जानता है- यही है सारे जहान के पालनहार के लिए तवाज़ो व इंकिसारी की तौहीद में इखलास।





## मक्का मुकर्मा की खुसूसीयतों (विशेषतायें)

अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम की जुबानी फ़रमाया:

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ عَيْنَى ذِي زَعْجَ عَنْدَ بَيْثَنَ الْمُحَرَّمَ رَبَّنَا لِيُقْبِلُوا  
الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوَى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ  
يَشْكُونَ﴾ [ابراهيم: ۳۷]

‘ऐ हमारे परवरदिगार! मैं ने अपनी कुछ औलाद को इस बे खेती के जंगल (गैर आबाद और बंजर वादी) में तेरे हुर्मत वाले (पवित्र) घर के पास बसाई है। ऐ हमारे परवरदिगार! यह इस लिए कि वह नमाज़ कायम रखें, पस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ़ मायल कर दे, और उन्हें फलों की रोज़ीयाँ इनायत फ़रमा (प्रदान कर), ताकि यह शुक गुज़ारी (कृतज्ञता) करें।’ {सूरतु इब्राहीम: 37}

मक्का मुकर्मा की तारीख (इतिहास), उसकी फ़ज़ीलत में वारिद नुसूस (कुरआन और हडीस में आई हुई दलीलों) और उसकी भूमि में वाके होने वाले हवादिस तथा घटनाओं को टोलने वाला इस नतीजा को पहुँचेगा कि अल्लाह तआला ने इस शहर को चंद ऐसी खुसूसीयतों से नवाज़ा है जो दीगर (अन्य) शहरों और मुल्कों के लिए नहीं हैं।

अल्लाह तआला ने उसके लिए चंद फ़िक़ही अहकाम मुकर्रर फ़रमाये जो उसके अलावा के लिए नहीं हैं, पस उसे ‘हरम’ का ऐसा मकाम अता फ़रमाया कि उस में शिकार करना, उसके दरख्तों को काटना और उसके हुदूद में गिरी पड़ी चीज़ों को उठाना वगैरा हराम हैं।



उसकी खुसूसीयतों में से यह भी है कि अल्लाह तआला ने इब्राहीम की दुआ कबूल फ़रमाते हुये लोगों के दिलों को उसकी तरफ मायल होने वाला बनाया और उसके मुद्द और सा' (नापने के पैमाने) में बरकत अंता फ़रमाई।

उसकी एक खुसूसीयत यह भी है कि जो शख्स उस में जुल्म करने का सिर्फ़ इरादा करेगा, तो अल्लाह तआला उसको केवल इस इरादा पर दर्दनाक अ़ज़ाब से दोचार करेगा। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

[وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَكَمِ إِلَّا مَنْ عَذَابٌ أَلِيمٌ] [الحج: ٢٥]

“जो भी जुल्म के साथ वहाँ इलहाद (कज रवी यानी टेढ़ापन और कुफ़ व शिर्क वगैरा) का इरादा करे, हम उसे दर्दनाक अ़ज़ाब चखायेंगे।”  
स्त्रूरतुल हज्ज: 25]

मज़कूरा खुसूसीयतें मारुफ़ व मशहूर (विदित तथा प्रसिद्ध) हैं और इल्मी किताबों में मौजूद हैं।

लेकिन जो शख्स अल्लाह तआला के नज़दीक सब से प्रिय भूमी मक्का मुकर्रमा के विषय में गौर करेगा, वह पायेगा कि अल्लाह तआला ने उसे चंद निराली और अनोखी खुसूसीयतों से नवाज़ा है, और वह यह हैं:

अल्लाह तआला उस में बुनियादी नेमतों (मौलिक वैभवों) -जैसे: हिदायत, नफ़ा बख्श इल्म, नेक अ़मल और हिक्मत व ज्ञान- से नवाज़ता है।

नीज़ उ़बूदीयत और बंदगी के ऊँचे मकाम -जैसे: ईमान, इहसान, शहादत, सिद्दीकीयत- पर फ़ायज़ करता है।

इसी तरह अल्लाह तआला उस में मज़कूरा नेमतों और मकामों के तलबगारों की तलब और मांगों को कबूल फ़रमाता है।



ऐसी बात नहीं कि अल्लाह तआला यह नेमतें दुनिया के किसी और मुल्क तथा शहर में नहीं देता, बल्कि देता ज़रूर है। लेकिन बात यह है कि जितनी जल्दी और जितना ज्यादा मक्का में देता है उतनी जल्दी और उतना ज्यादा किसी और मुल्क तथा शहर में नहीं देता है। अल्लाह बेहतर जानता है।

मिसाल के तौर पर (उदाहरण स्वरूप): यह हैं इब्राहीम ﷺ। अल्लाह तआला ने उन्हें इस्लाम, ईमान, इहसान और नुबूअत व रिसालत के रुत्बे से नवाज़ा, मगर मक्का से बाहर। लेकिन जब ‘खुल्लत’ (दोस्ती) के रुत्बा -जो कि रुत्बों में सब से बड़ा रुत्बा है- से नवाज़ना चाहा, तो उन्हें मक्का बुला लिया। और वहाँ बुला कर सख्त तरीन आज़माइश में मुबतिला भी किया और बदला (नवाज़िश व करम) भी अ़ज़ीम तरीन अंता फ़रमाया यानी ‘खुल्लत’ के रुत्बा से नवाज़ा।

और यह हैं हमारे नबी मुहम्मद ﷺ जिनका दिल मक्का मुकर्रमा ही में बड़ी आज़माइशों के बाद हर तरह की बुनियादी नेमतों से भर दिया जाता है, फिर वहीं आपको ‘खुल्लत’ के मंसब पर फ़ायज़ किया जाता है। इसके बाद मदीना हिजरत करने की इजाज़त दी जाती है। अल्लाह तआला बेहतर जानता है।

इसी लिए शायद हज्ज के मकासेद में से है कि मुसलमानों को यहाँ (मक्का) बुलाया जाये जहाँ अल्लाह तआला के करम व मेहरबानी की बारिश होती है और हर जगह से कहीं ज्यादा उसकी बख़्शिश व नवाज़िश होती है। चुनांचि उन्हें इन थोड़े दिनों में बहुत ज्यादा इबादत करने पर मुकल्लफ़ किया जाता है, ताकि उन्हें यह नेमतें वौरा उस मिक़दार से ज्यादा दी जायें जो वह अपने मुल्क -जहाँ से आये हैं- में दिये जाते हैं।



हाजी साहब जब इस खुसूसीयत पर गौर करेंगे, तो अल्लाह तआला के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे कि हमारे लिए अपनी अस्ली और फरई (प्रधान और अप्रधान) तमाम नेमतों को ज्यादा कर दे और बंदेगी में हमारे मकाम को बुलंद कर दे।

मुमकिन है कि अल्लाह तआला इस मुख्तसर और शार्ट सफर में उनकी दुआयें कबूल कर ले, या उनके इल्म, हिक्मत, तक्वा और नेक अ़मल को दुगना कर दे, या उनके दर्जों को यूँ बुलंद कर दे कि आये थे मुसलमान बन कर और जा रहे हैं मुमिन बन कर, या आये थे मुमिन बन कर और वापसी हो रही है मुहसिन बन कर, या आये थे मुहसिन बन कर और लौट रहे हैं सिद्दीक बन कर।

अस्ली और बुनियादी नेमतों में अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम यह है कि वह उन्हें अपने बंदों में से किसी बंदा को नहीं नवाज़ता है यहाँ तक कि उसको आज़माइश में मुबतिला कर दे। और यही वजह है कि इब्राहीम ﷺ पर इराक और शाम की तुलना (मुकाबिले) में मक्का मुकर्मा में आज़माइश ज्यादा तथा सख्त हुई, और ऐसे ही मुहम्मद ﷺ पर मदीना की तुलना में मक्का में आज़माइश अधिक और कठिन हुई, ताकि दोनों ‘खुल्लत’ के रुचे को पहुँच जायें। अल्लाह बेहतर जानता है।

इसी लिए मक्का में हाजीयों पर भी इबतिला और आज़माइश सख्त कर दी जाती है, ताकि वह उस अ़ज़ीम बख्शिश और नवाज़िश (महान दान) को पा सके जिनके वे आर्जूमंद होते हैं, इस शर्त पर कि वे सब करें और अल्लाह तआला से डरें।

इसी लिए अल्लाह तआला ने फरमाया:



﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْسَانٌ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِنْسَانٌ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهُ أَكْبَرُ ۝ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝﴾ [البقرة: ٢٠٣]

63

“दो दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं और जो पीछे रह जाये उस पर भी कोई गुनाह नहीं, यह परहेज़गार के लिए है, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ़ जमा किये जाओगे।” [सूरतुल बकरा: 203]

यह बात मालूम है कि जो हाजी मिना में दो दिन (11 और 12 जुलाहिंज्जा को) रह कर चला जाये तो भी कोई हरज और गुनाह नहीं, क्योंकि यह अल्लाह तआला की तरफ़ से तख़फीफ़ (छूट) है। अब कारी (पाठक) गुमान करेगा कि पीछे रहने वाले के बारे में कहा जाये: जो शङ्ख पीछे रह जाये (यानी 13 जुलाहिंज्जा को कंकरी मार कर जाये) उसके लिए बड़ा अज्ञ व सवाब है।

लेकिन अल्लाह तआला ने इस आयत में पीछे रहने वाले के लिए एक ज़ायेद (अधिक) शर्त लगाई है, और वह है: अल्लाह का तक्वा और डर। और यह बात (यानी आयत में पीछे रहने वाले के लिए तक्वा की शर्त) उस तफ़सीर के मुताविक है जिस में कहा गया है कि ﴿لَعَنْ أَنْتَنَى﴾ यानी “यह परहेज़गार के लिए है” का तअल्लुक सिर्फ़ पीछे रहने वाले के साथ है। क्योंकि उसके लिए इस में आज़माइश भी ज्यादा है और बदला भी ज्यादा है। अल्लाह तआला बेहतर जानता है।

अतः जो 13 जुलाहिंज्जा को कंकरी मार कर जायेगा तो उसके लिए है उतनी अज़ीम नवाज़िश जितनी है उसकी आज़माइश। अल्लाह तआला बेहतर जानता है।





अल्लाह तभाला ने फ़रमाया:

﴿أَمْ حِسِّبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهُوكُمْ وَأَنْتُمْ كُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾

[آل عمران: ١٤٢]

“क्या तुम यह समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे, हालाँकि अब तक अल्लाह ने यह मालूम नहीं किया कि तुम में से जिहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले कौन हैं?” {सूरतु आलि इमरान: 142}





## ख़ातिमा (उपसंहार) फिर हज्ज के बाद क्या?

प्यारे हाजी भाई! हज्ज के अ़्ज़ीम मकासेद और महान भेदों को ज़िक्र करने के बाद, अब मुनासिब मालूम होता है कि हम संजीदगी के साथ गौर करें कि गुज़श्ता बयान से हमें क्या फ़ायदे मिले?

पस अल्लाह की मदद और उसकी तौफ़ीक चाहते हुये कह रहा हूँ:  
मेरे प्यारे हाजी भाई! जिस ज़ात ने शिकार को सहावा से और अ़ौरत को मर्द से क़रीब किया, उसी ने दुनिया में हर जगह हराम फोटो, हराम सुनने, हराम खाने पीने और हराम माल को बंदे से क़रीब किया। और सब का एक ही सबव और कारण है यानी अल्लाह तआला की तरफ से आज़माइश। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّا مُؤْمِنُوْكُمْ أَلَّا يُشْقِّوْنَ مِنْ أَصْبَارِهِمْ أَيْدِيهِمْ وَرِمَاحُكُمْ لِعَلَمَ أَلَّهُ مَنْ يَخَافُهُمْ  
بِالْغَيْبِ فَمَنْ أَعْنَدَهُ بِدَدَّكَ فَلَهُ، كَذَّابُ أَيْمَمٌ﴾ [آل اثاثة: ٩٤]

“ऐ ईमान वालो! अल्लाह कुछ शिकार से तुम्हारा इमतिहान करेगा जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुँच सकेंगे, ताकि अल्लाह मालूम कर ले कि कौन शख्स उस से बिन देखे डरता है, पस जो शख्स इसके बाद हद से निकलेगा उसके लिए दर्दनाक सज़ा है।” सूरतुल माइदा: 94}





अतः ऐ मेरे धारे! क्या हज्ज से वापसी के बाद भी बल्कि मरते दम तक महब्बत, खौफ़ और अल्लाह की तरफ़ इनवात और रुजुअ़ की तौहीद में आपका अपने नफ़्स के लिए मुजाहदा (यानी नफ़्स व शैतान के वसवासों और दीन के दुश्मनों की कोशिशों के खिलाफ़ जिद्द व जहद) जारी व सारी रहेगा?

मेरे धारे हाजी भाई! हज्ज से पहले आप अपने मुल्क में कियाम के दौरान कहते थे कि आप अल्लाह से महब्बत करते हैं, उसी से डरते हैं और उसी पर भरोसा रखते हैं। लेकिन यह सब कुछ आपके दावे ही थे, जिन पर आपकी सदाक़त व सच्चाई के लिए दलीलों की ज़रूरत थी। पस हज्ज आया, ताकि वह आपके जुबानी दावे को आज़ा व जवारिह (अंग प्रत्यंग) से सच कर दिखाने के बाद आपकी सच्चाई पर दलील बने। अतः आपको मुबारक हो अगर अल्लाह तआला ने आपके हज्ज को क़बूल फ़रमा लिया। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَدَلَّ عَنْ نَفْسِهَا وَلَا يُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُنَّ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [النحل: ١١١]

[١١١] [النحل: ١١١]

“जिस दिन हर शख्स अपनी ज़ात के लिए लड़ता झगड़ता आयेगा, और हर शख्स को उसके किये हुये आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जायेगा, और लोगों पर जुल्म न किया जायेगा।” सूरतुन्ह़ह़ल: 111}

चुनांचि आप इन अ़ज़ीम मकासदों और भेदों को सावित करने तथा हकीकी रूप देने के लिए अपने नफ़्स से लड़ाई झगड़ा करें, ताकि आपके आज़ा व जवारिह आपके लिए इसकी गवाही दें, लिहाज़ा अल्लाह तआला से क़बूलीयत की बक्सरत (अधिकाधिक) दुआ करें।





हे मेरे हाजी भाई! इस हज्ज के सबब हो सकता है कि आपके रब की मेहरबानी आपको उस रुत्बे और मकाम तक पहुँचा दे जहाँ तक शायद अपने मुल्क में हज़ारों साल रह कर भी न पहुँच पाते। लिहाज़ा इस पर आप अल्लाह तआला की तारीफ और उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि रब के हम्द व शुक्र के सबब फरई नेमतों (अप्रधान वैभवों) -जैसे माल और औलाद- में बरकत होती है। और अगर फरई नेमतों में बरकत होती है तो बदर्जा औला अस्ली नेमतों -जैसे ईमान व इहसान- में बरकत होनी चाहिये (यानी प्रधान नेमतों में बरकतों का पाया जाना अधिकतर उपयोगी है)। बेशक अल्लाह तआला करीम और वदूद (दानवीर तथा महब्बत करने वाला) है। अतः ज्यादा से ज्यादा उसी की हम्द व सना बयान करें और उसी का शुक्र व कृतज्ञता बजा लायें।

हज्ज के बाद आपकी ज़िंदगी का मनहज (तौर तरीक़ा और चाल ढाल) यह होना चाहिये कि आप उस अ़्ज़ीम रुत्बा और मकाम की हिफाज़त और टिकाव की कोशिश करें जिसे अल्लाह ने आपको अ़ता फ़रमाया है। और ऐसा उसी वक्त हो सकता है जब आप साबित क़दमी के वसायेल (अटलता के माध्यमों) को मज़बूती के साथ थामे रहेंगे, जैसे: नेक साथी अखिलयार करना, ज्यादा से ज्यादा दुआ करना, ग़फ़्लत की जगहों तथा ग़ाफ़िलों को त्याग करना, और नेक अ़मल में मशगुल रहना यहाँ तक कि आप अपने रब से मिल जायें (आपको मौत आ जाये), इस हाल में कि वह आप से राज़ी हो जाये और आप उस से राज़ी रहें।

﴿رَبَّ الْأَرْضَعُ قُلْوَيَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهُبْ لَنَا مِنْ لَدُنَكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ﴾ [آل عمران: ٨]

“ऐ हमारे रब! हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े न कर दे,





और हमें अपने पास से रहमत प्रदान कर, निश्चय तू परम दाता है।”  
[सूरतु आलि इमरानः 8]

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلته وصحبه أجمعين،  
وسلم تسليماً كثيراً.

सब तारीफ व स्तुति अल्लाह तआला के लिए है, जो तमाम जहानों का  
पालने वाला है। और बेशुमार दुरुद व सलाम नाज़िल हो हमारे नबी  
मुहम्मद पर, तथा उनके आल व औलाद और उनके तमाम सहाबीयों पर।





# IslamHouse.com

 [Hindi.IslamHouse](#)    [@IslamHouseHi](#)    [IslamHouseHi](#)    <https://islamhouse.com/hi/>  
 [IslamHouseHi](#)

For more details visit  
[www.GuideToIslam.com](http://www.GuideToIslam.com)



contact us :[Books@guidetoislam.com](mailto:Books@guidetoislam.com)

 [Guidetoislam.org](#)    [Guidetoislam1](#)    [Guidetoislam](#)    [www.Guidetoislam.com](http://www.Guidetoislam.com)



**المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة**

هاتف: +966 11 4454000 - فاكس: +966 11 4457000 - ص.ب: ٤٩٤٦٥ - الرياض: ١١٤٥٧

**ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH**  
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126